

**विविध वाद संख्या 18 / 2015**

**दिनांक 20.12.2023**

**सीआइएस 1502.18**

**न्यायालय: अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।**

### **आदेश**

दिनांक: 20.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला आवेदक की तरफ से दिनांक 6.12.2023 को प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

आवेदक ने अपने आवेदन में कहा है कि विपक्षी सं० 3 प्रेम नारायण मिश्र की मृत्यु दिनांक 24.10.2023 को हो गयी है वह अपनी पत्नी इंदू देवी तथा दो लड़का एवं दो लड़की को छोड़कर मर गए हैं यह कि आवेदक गण को इसकी जानकारी विलंब से हुई है अतः विलंब माफ करने की कृपा करते हुए प्रतिवादी सं० 03 प्रेम नारायण मिश्र के नाम को कलमजद कर उनके स्थान पर प्रतिवादी सं० 03क के रूप में इंदू देवी पति स्वर्गीय प्रेम नारायण मिश्रा, 3ख संजू मिश्र पिता स्व० प्रेम नारायण मिश्र, 3ग मृत्युंजय मिश्रा उर्फ पप्पु मिश्रा पिता— स्व० प्रेम नारायण मिश्र तथा 3घ सीमा देवी पुत्री स्व० प्रेम नारायण मिश्रा, 3ड० अंतिमा चौबे पुत्री स्व० प्रेम नारायण मिश्रा का नाम प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित करने की कृपा करें।

विपक्षी को मामले में उपस्थित नहीं हुआ है अतः उसका प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपस्थित पक्षकार को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 8 वर्ष पुराना है आवेदक के आवेदन के अनुसार विपक्षी सं० 3 प्रेम नारायण मिश्र की मृत्यु दिनांक 24.10.2023 को हो गयी है वह अपनी पत्नी इंदू देवी तथा दो लड़का एवं दो लड़की को छोड़कर मर गए हैं यह कि आवेदक गण को इसकी जानकारी विलंब से हुई है अतः विलंब माफ करने की कृपा करते हुए प्रतिवादी सं० 03 प्रेम नारायण मिश्र के नाम को कलमजद कर उनके स्थान पर प्रतिवादी सं० 03क के रूप में इंदू देवी पति स्वर्गीय प्रेम नारायण मिश्रा, 3ख संजू मिश्र पिता स्व० प्रेम नारायण मिश्र, 3ग मृत्युंजय मिश्रा उर्फ पप्पु मिश्रा पिता— स्व० प्रेम नारायण मिश्र तथा 3घ सीमा देवी पुत्री स्व० प्रेम नारायण मिश्रा, 3ड० अंतिमा चौबे पुत्री स्व० प्रेम नारायण मिश्रा के रूप में प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। मामले में चूंकि आवेदक का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और आवेदन को स्वीकृत करना किसी की मृत्यु के पश्चात सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक है अतः विपक्षी सं० 3 प्रेम नारायण मिश्र की मृत्यु दिनांक 24.10.2023 को हो गयी है वह अपनी पत्नी इंदू देवी तथा दो लड़का एवं दो लड़की को छोड़कर मर गए हैं अतः प्रतिवादी सं० 03 प्रेम नारायण मिश्र के नाम को कलमजद कर उनके स्थान पर प्रतिवादी सं० 03क के रूप में इंदू देवी पति स्वर्गीय प्रेम नारायण मिश्रा, 3ख संजू मिश्र पिता स्व० प्रेम नारायण मिश्र, 3ग मृत्युंजय मिश्रा उर्फ पप्पु मिश्रा पिता— स्व० प्रेम नारायण मिश्र तथा 3घ सीमा देवी पुत्री स्व० प्रेम नारायण मिश्रा, 3ड० अंतिमा चौबे पुत्री स्व० प्रेम नारायण मिश्रा के रूप प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय अग्रिम तिथि तक मरम्मती संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करें

**विविध वाद संख्या 18 / 2015**

**दिनांक 20.12.2023**

**सीआइएस 1502.18**

और एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक  
.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थान: अरेराज  
पूर्वी चम्पारण ।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय  
अवर न्यायाधीश  
अरेराज, पूर्वी चम्पारण ।